

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या / 72 / 2014

दायर दिनांक 09.06.2014

उनवान  
मांगीलाल पिता शंकर  
बनाम  
मांगीलाल पिता खुमराज

प्रा० प० अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 25.02.2021

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई जिसमें वकिल प्रार्थी हाजिर होकर आदेशिका पर नोट प्रैस अंकित कर कार्यवाही नहीं चाही है प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है अत-पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम हो |



(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन

